राजस्थान सरकार
विधि एंव विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांकः प.12(13)राज/वाद/15 जयपुर, दिनांकः 14-2-15

समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।

:: परिपत्र ::

यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उनके विभाग से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ जयपुर में विचाराधीन प्रकरणों में विभाग की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्तागण द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में सूचना एवं दस्तावेजात आदि चाहे जाने पर संबंधित विभाग द्वारा वांछित सूचना/दस्तावेजात समय पर महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्तागण को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। जिसके अभाव में प्रकरण की सफलता पर प्रतिकूल असर पडता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि माननीय महाधिवक्ता महोदय एवं अति0 महाधिवक्तागण द्वारा विभागों को प्रेषित पत्रों का विभाग द्वारा समुचित उत्तर नहीं दिये जाने के कारण माननीय न्यायालय में राज्य पक्ष में उचित प्रकार से पैरवी किये जाने में कठिनाई होती है एवं प्रकरण की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा आपके विभाग से संबंधित किसी प्रकरण में कोई सूचना/दस्तावेजात आदि चाहे जावे तो उन्हें वांछित सूचना/दस्तावेजात अवलिम्ब उपलब्ध करवाये जावें तथा महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्ता द्वारा प्रेषित पत्रों का अविलम्ब उत्तर दिया जाना भी सुनिश्चित किया जावे।

इसे सम्पूर्ण प्राथमिकता देवें।

Sd/-
(आशुतोष कुमार मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ जयपुर।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

(रीटा तेजपाल)
विशिष्ठ शासन सचिव, विधि